

निवादा जमा करने की दिनांक : 20/08/2019 सुबह 11 बजे से दोप. 2 बजे तक	 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India <small>1911 से आपके लिए "केंद्रीय" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911</small>	निवादा खोलने की दिनांक : 20/08/2019 दोप. 3.00 से 4.00 बजे तक		
चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी सूचना				
<p>अधोहस्ताक्षरी जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुरुगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन एक्ट 2002 के अधीन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी है नीचे खाले के आगे वर्णित विवरण वाले ऋणियों/जमानतदारों को नोटिस जारी किया है और तत्पश्चात् संपत्ति का भाँतिक कब्जा ले लिया है। प्रतिभूतिहित प्रवर्तन एक्ट 2002 नियम 8 एवं 9 के अन्तर्गत “जो कुछ है, जोसा है, जहाँ है” के आधार पर मोहरबद्द निवादा द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया है। ऋणियों/जमानतदारों, बकाया ऋण, आरक्षित मूल्य एवं स्थावर संपत्तियों का विवरण निम्न है:-</p>				
ऋणी का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली संपत्ति / बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति स्थावरी का नाम	मांग नोटिस दिनांक बचूक राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि	
ऋणी- श्री अजय कुमार श्रीवास्तव आत्मज राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीती श्रे	<p>फ्लैट नं. ई-16, एचआईजी, पांचवी मैंजिल, ए ब्लॉक, भूमिका रेसीडेंसी, प्लाट नं. 247, 248, 248-ए, 248-बी एवं 248-सी, शिरडीपुस्क कालोनी, कोलार रोड, नं. 80, तह. हुजर, भोपाल क्षेत्रफल- 1000 209फ्लैट चर्चुनीमार्ग-उत्तर-फ्लैट नं. ई-15, दक्षिण-फ्लैट नं. ई-17, पूर्व- कारिंडोर एवं अन्य मकान, पश्चिम-रोड संपत्ति स्थावरी - श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव</p>	04/04/2018 26/07/2018 ₹ 2099382/- <small>+देव ब्याज एवं अन्य खर्च</small>	₹ 18.36 लाख ₹ 183600/-	
निवादा जमा एवं खोलने का स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर शाखा, गुलमोहर फोन : 7024115041				
<p>1. यह कि नीलामी में भाग लेने के इच्छक व्यक्तियों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गुलमोहर शाखा के पक्ष में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेश/मांग ड्राप्ट धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। नीलामी में भाग लेने की वह पूर्व शर्त है।</p> <p>2. आरक्षित मूल्य से नीलामी की जायेगी। निवादा सीलाफें में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लिफाफें पर निवाद कर्ता का नाम एवं पता, प्रकरण की जाने वाली संपत्ति का विवरण दराना अनिवार्य है। निवाद में अवेदन कर्ता - अपना नाम, पता, आयु, व्यवसाय, कान्टेक्ट नं. अवश्य दें। ◆ प्रकरण का नाम संपत्ति का विवरण, बोली की राशि अवश्य लिखें। ◆ धरोहर राशि का विवरण दें। ◆ समाचार पत्र में प्रकाशित सभी शर्तें मान्य हैं लिखें। ◆ हस्ताक्षर अवश्य करें।</p> <p>3. यह कि अधिकतम बोली वाले का भुगतान आदेश/मांग ड्राप्ट अधोहस्ताक्षरी द्वारा रख लिया जायेगा तथा अन्य लोगों के भुगतान आदेश/मांग ड्राप्ट टेंडर के बाद वापस कर दिया जायेगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।</p> <p>4. अधिकतम बोली वाले को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, संवर्धित शाखा के पक्ष में नकद/भुगतान आदेश / मांग ड्राप्ट द्वारा बोली खुलने के 24 घंटे के अन्दर जमा कराना होगा। पूर्व में जमा की गई 10 प्रतिशत धरोहर राशि को इसमें समावृत्ति किया जायेगा। उपरोक्तानुसार राशि जमा न करने पर 10 प्रतिशत धरोहर राशि को जमा कर लिया जायेगा।</p> <p>5. अधिकतम बोली वाले को विक्रय मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 15 दिनों में जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर उक्त 25 प्रतिशत राशि जब तक कर ली जायेगी। (विक्रय (Sale) की पुष्टि होने तक तक ऋणी अपना ऋण ब्याज सहित जमा कर सकता है ऐसी स्थिति में बोलीकर्ता का पैसा विक्रय व्यापक कर दिया जायेगा।)</p> <p>6. संपत्ति का विक्रय बोली द्वारा “जो कुछ है, जैसा है, जहाँ है” के आधार पर तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुरुगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिकारी 2002 और उसके नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा रहा है। सभी इच्छुक निवादकर्ता स्वयं के व्यय पर उक्त संपत्तियों का निरीक्षण कर लें।</p> <p>7. यह कि संपत्ति के विक्रय प्रमाण पत्र (Sale Certificate) के रजिस्ट्रेशन हेतु स्टाम्प इयूटी, रजिस्ट्रेशन व अन्य व्यय खरीददार द्वारा ही वहन किये जायें।</p> <p>8. यह कि विक्रय प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात विधि द्वारा प्रदत्त समयावधि में उसका रजिस्ट्रेशन कराने का दायित्व खरीददार का ही होगा।</p> <p>9. यह कि संपत्ति पर वादी कोई शासकीय देयताएं जैसे गृह कर, जल कर, विद्युत व्यय, नामांतरण व्यय आदि बकाया हो तो वह भी खरीददार द्वारा ही वहन किये जायें।</p> <p>10. नीलामी के किसी भी खण्ड को शामिल करने एवं निकालने नीलामी निरस्त करने अथवा नीलामी को बिना कारण बताये स्वीकार /अस्वीकार निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल के पास सुरक्षित है।</p> <p>11. यह कि संपत्ति के निरीक्षण हेतु एवं अधिक जानकारी हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, संवर्धित शाखा से संपर्क करें। नीलामी विक्रय संबंधी अधिक जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>12. उपरोक्तानुसार समय व तिथि पर निवादाओं का निवादकर्ता को उपस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष खोला जायेगा। यदि कोई निवादकर्ता उपस्थित नहीं रहता तो निवादा उसकी अनुपस्थिति में खोली जायेगी एवं इस संबंध में लिये गए सभी निर्णय निवादकर्ता पर बंधनकारी होंगे।</p> <p>13. विस्तृत जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in में सरफेसी आइकॉन देखें।</p>	प्राधिकृत अधिकारी			
दिनांक : 31-07-2019, स्थान: भोपाल				